



UPRB010016282026

न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) रायबरेली।
पीठासीन अधिकारी-(अमित कुमार पाण्डेय), (उच्चतर न्यायिक सेवा)UP06246
जमानत प्रार्थनापत्र सं०-662/2026

शिवशंकर आयु लगभग 66 वर्ष पुत्र गुरु प्रसाद निवासी ग्राम गुमानखेड़ा , थाना खीरो
जनपद रायबरेली।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ० प्र० राज्य द्वारा डी०जी०सी० (क्रिमिनल), रायबरेली।

.....विपक्षी

सत्र परीक्षण संख्या-1166/2022
मु० अपराध सं०-262/2019
धारा- 138 बी० विद्युत अधिनियम
थाना-एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली।

जमानत आदेश

- 1- प्रार्थी/अभियुक्त शिवशंकर की ओर से मुकदमा अपराध सं०-262/2019 धारा-138 बी विद्युत अधिनियम थाना-एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली के मामले में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 2- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 29.07.2019 को समय लगभग 3.30 बजे वादी मुकदमा रामनाथ अवर अभियन्ता 33/11 KV वि० उपकेन्द्र खीरो में बकाये पर काटे गये संयोजनो की जाँच हेतु आज समय लगभग 3.30 बजे अपनी टीम के साथ प्रा०-गमान खेड़ा गया था। जिसमें कुछ उपभोक्ताओं द्वारा बिना बकाया भुगतान किये ही कटथ्या लगाकर ही विद्युत चोरी करते पाये गये।
- 3- जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त सर्वथा निर्दोष व्यक्ति है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई विद्युत केबिल या अन्य विद्युत सामग्री का बरामद होना नहीं दर्शाया गया है, इसलिए उपरोक्त घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा न कोई जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय में, न ही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न ही विचाराधीन है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।
- 4- विद्वान ए०डी जी०सी० के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किय गया है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में बकाये पर कटे संयोजन चेक किये जो बिना भुगतान किये

पुनः अवैध रूप से कटथ्या लगाकर विद्युत चोरी करते हुए पाये गये। विद्युत विभाग द्वारा पकड़े जाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा मेरे द्वारा पुलिस प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

6- प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को सशर्त जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। तदुसार प्रार्थनापत्र जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त शिवशंकर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं०-662/2026, मुकदमा अपराध सं०-262/2018 धारा-138 बी विद्युत अधिनियम थाना-एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली के मामले में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० पच्चीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिह किया जाये।

दिनांक:11.03.2026

(अमित कुमार पाण्डे)

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश (इ.सी.एक्ट)
रायबरेली।